निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 646) पटना, बुधवार, 31 अगस्त 2022

सं० 2/सी०–1028/2011–सा0प्र0/9528
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

13 जून 2022

श्री अरविन्द कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 750/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरियक, नालंदा सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक 490 दिनांक 10.03.2011 द्वारा गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप है कि :–

1. सांसद मद अन्तर्गत ग्राम–रूपसपुर में स्वास्थ्य उपकेन्द्र में बरामदा सहित दो कमरों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2001–02 में कराया गया, जिसका अभिलेख संख्या 91/02 वर्ष 2001–02 है और उसका प्राक्कलित राशि 2,19,000/–(दो लाख उन्नीस हजार रूपये) है। स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त योजना का कार्य अत्यंत खराब एवं घटिया पाया गया है एवं निर्मित दीवार में दरार पायी गई तथा अधिकांश जगह फर्श टूटा हुआ पाया गया। इसके बावजूद अधिकांश राशि का भुगतान अभिकर्त्ता को कर दिया गया।

2. विधायक मद के अंतर्गत दुर्गापुर के पूरब–उत्तर वाली पाईन की खुदाई एवं पुलिया निर्माण कार्य जिसकी योजना सं0 766/24 वर्ष 2001–02 है और उसकी प्राक्कलित राशि 1,00,000/–(एक लाख) रू0 है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मापी पुस्तिका में तृतीय एवं अंतिम विपत्र अंकित है, जिसमें 2000 (दो हजार) रू0 रेकटिफिकेशन के लिए काट कर कुल 98,950/–(अनठानवे हजार नौ सौ पचास) रू0 का भुगतान किया गया है, यदि काम खराब हुआ था तो उक्त कार्य का कोई विपत्र ही नहीं बनाया जाना था। जाँच में यह भी पाया गया है कि एक पुलिया जिसकी राशि 22,270/–(बाईस हजार दो सौ सत्तर) रू0 है, स्थल पर निर्मित नहीं पाया गया है। उक्त योजनाओं में घटिया कार्य तथा इसके विरूद्ध गलत मापी पुस्तिका में प्रवृष्टि एवं नजायज भुगतान के लिए जाँच के आधार पर श्री कुमार दोषी पाये गये हैं और इन योजनाओं में सरकारी राशि का बंदर–बांट किया गया है। श्री कुमार का उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, नालंदा से मंतव्य प्राप्त की गयी, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, इनके स्पष्टीकरण एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए लिये गए निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3847 दिनांक 14.03.2022 द्वारा **''02 (दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध''** किये जाने के साथ–साथ **''चेतावनी (चरित्र–पुस्त में प्रविष्टि की जाएगी)''** की शास्ति अधिरोपित किया गया।

उक्त दंडादेश पर विचार हेतु श्री कुमार के पत्रांक 394 दिनांक 13.04.2022 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार का कहना है कि–

इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभाग द्वारा बिना विचार किये ही दंड संसूचित किया गया है, जबकि इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह कहा गया था कि –

संबंधित योजना सांसद मद से कराया गया था। सांसद मद योजना के अंतर्गत कार्य की स्वीकृति के उपरान्त उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन एजेन्सी से कराया गया था। तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा संबंधित विषयक प्रतिवेदन उनके जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–2.7.1 में अंकित की गयी है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि संबंधित कार्य में अंतिम विपत्र का निष्पादन 12.08.2004 को किया गया है। जैसा कि इन्होंने पूर्व में स्पष्ट किया है कि इनका कार्यकाल 2 सितम्बर, 2002 तक ही उक्त प्रखंड में था। जाँच प्रतिवेदन से ही स्पष्ट होगा कि चतुर्थ चालू विपत्र तक का ही उपस्थापन इनके कार्यकाल में किया गया था, जिसमें कार्यालय द्वारा दिनांक 13.08.2002 को संबंधित योजना के संचिका में आदेश पारित किया गया था। पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण के साथ परिशिष्ट–4 पर रक्षित आदेशफलक में अंकित है कि–**''इस योजना के अभिकर्त्ता श्री विजय पासवान पंचायत सेवक का स्थानान्तरण हो चुका है और अभी तक इन्होंने कार्य पूरा नहीं किया है तथा योजना का कार्य अवरूद्ध है। इनके द्वारा अबतक कुल 82500=00 रूपये प्राप्त किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध मापी पुस्तिका के अनुसार वास्तविक कार्य 82500=00 रूपये का किया जा चुका है। परन्तु मास्टर रौल एवं अभिश्रव नहीं दिया है, जिसे उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाता है और कार्य अवरूद्ध रखने के कारण एकारनामा रद्द किया जाता है। योजना का कार्य पूर्ण करने हेतु श्री रामा प्रसाद, पंचायत सेवक को विभागीय रूप से अभिकर्त्ता चयन किया जाता है तथा उन्हें निदेश दिया जाता है कि योजना का कार्य दिनांक 15.09.2002 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करा दें। कार्य प्रारंभ करने हेतु बतौर प्रथम अग्रिम के रूप में 7500=00 रूपये मात्र भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। प्रखंड नाजीर प्राप्ति रसीद एवं उचित पहचान पर 7500=00 रूपये मात्र का भुगतान करें।''**

उक्त आदेशफलक के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि इनके कार्यकाल में उक्त कार्य के संलग्न अभिकर्त्ता श्री विजय पासवान द्वारा किये गये एकारनामा को रद्द करते हुए दूसरे पंचायत सेवक को अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया था। वैसे परिस्थिति में जबकि इनके कार्यकाल में कार्य की कुल प्राक्कलित राशि 219000/– रू0 के विरूद्ध मात्र 82500/– रू0 के कार्य का ही मापी पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी थी, तो ऐसी स्थिति में आरोप–पत्र में वर्णित कि फर्श टूटा हुआ था एवं अन्य तरह के तकनीकी त्रुटियाँ जिसका उल्लेख जाँच प्रतिवेदन में किया गया है, के संबंध में पर्यवेक्षण का आरोप इनके विरूद्ध लगाना साक्ष्य आधारित नहीं है।

जहाँ तक जिला पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में यह कहा गया है कि चूँकि विजय पासवान को दंडित किया गया है, ऐसी परिस्थिति में इनके स्पष्टीकरण को अमान्य किया गया है, के क्रम में यह कहना आवश्यक है कि इनके कार्यकाल से संबंधित योजना के आदेशफलक के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि इन्होंने ही श्री विजय पासवान को अभिकर्त्ता से हटाकर किसी दूसरे अभिकर्त्ता को नियुक्त किया गया था।

उपरोक्त वर्णित कंडिकाओं में इन्होंने आरोप सं0–1 के क्रम में साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण समर्पित किया है। अतः यह आरोप इनपर नहीं बनता है।

आरोप सं0–2 के संबंध में कहना है कि संबंधित योजना के मापी पुस्तिका के पृष्ठ 13 का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें Deduction का कारण अंकित है। संबंधित मापी पुस्तिका में मापी कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 10.06.2002 को दर्ज की गयी थी, जिसे तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 04.07.2002 को जांच किया गया एवं उक्त मापी पुस्तिका में ही दो हजार रूपये की कटौती मिट्टी कार्य में सुधार हेतु की गयी थी, तो उक्त परिप्रेक्ष्य में यह कहा जाना कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा स्थल जांच नहीं किया गया, का कोई आधार नहीं है, क्योंकि अभियंताओं द्वारा ही दो हजार रूपये कटौती कर भुगतान करने हेतु मापी पुस्तिका को उपस्थापित किया गया था। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त मापी पुस्तिका के पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न है।

जिला पदाधिकारी के मंतव्य में ही अंकित है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरियक के पत्रांक 1523 दिनांक 12.12.2011 को आधार बनाया गया है कि पुलिया का कोई निर्माण नहीं हुआ है और उक्त आलोक में इनपर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है, का मंतव्य दिया गया है। इस संबंध में कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरियक का उक्त पत्र लगभग 10 वर्ष पूर्व सम्पादित किये गये कार्य के संबंध में है, जिसकी जांच उनके द्वारा वर्ष 2011 में की गयी है। इस संबंध में तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच प्रतिवेदन कंडिका–2.15.2 में यह अंकित है कि **–''स्थल निरीक्षण के समय उपबंधित पईन में चार पुलिया बना हुआ देखा गया। जिसकी आकार में पईन के आकार के आधार पर हल्का फेरबदल किया गया है, परनतु पाँचवा पुलिया जिसकी आकार प्राक्कलन से ज्यादा अर्थात् (14'X5'X-6") एवं लागत मात्र**

22,270=00 रूपये है, स्थल पर नहीं देखा गया। उपस्थित ग्रामीण ने बताया कि बड़े पईन से उपबंधित छोटे पईन के निर्गत बिन्दु पर 5-6 साल पूर्व पुल बनाया गया था, जिसे बड़े पईन के मेढ़ (Embankment) पर सड़क बनाने के दौरान तोड़ कर हटा दिया गया तथा वहाँ पर एच0पी0 पुलिया बनाने के लिए पाईल डाल दिया गया है। तत्काल बताये स्थल पर एन0पी0 का ह्यूम पाईप डाला हुआ देखा गया। इस परिस्थित में कार्य की समयावधि ज्यादा हो जाने के कारण सही जांच संभव नहीं हो सका।''

जिससे स्वतः स्पष्ट होगा कि जांच पदाधिकारी को ग्रामीणों ने जांच की तिथि को ही यह बात प्रकाश में लाया था कि पुल निर्मित था, जिसे नया पुलिया बनाने के दौरान हटाया गया था। संबंधित जाँच पदाधिकारी द्वारा निगरानी विभाग का प्रतिवेदन दिनांक 23.03.2010 को समर्पित है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरियक का पत्रांक 1523 दिनांक 12.12.2011 मे यह कहा जाना कि पुल निर्मित नहीं पाया गया, का कोई आधार नहीं है क्योंकि जांच प्रतिवेदन में ही उक्त पुलिया के नहीं पाये जाने का कारण उल्लेखित है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में यह आरोप भी प्रमाणित नहीं होता है।

जहाँ तक बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) का उल्लंघन का प्रश्न है। इस संबंध में यह कहना है कि इनके द्वारा सरकारी कार्यों का निष्पादन पूरी शीलनिष्ठा के साथ अपने सेवाकाल में किया गया है।

उपरोक्त वर्णित कंडिकाओं स्पष्ट होगा कि इनके उपर लगाये गये दोनों आरोप साक्ष्यविहीन है। संबंधित आरोप जो कि वर्ष 2001-02 के पदस्थापन अवधि के सामय का है, जिसमें लगभग 10 वर्षों के बाद जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। आरोप के बिन्दु पर इन्होंने वर्ष 2013 में ही अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया था। उक्त स्पष्टीकरण पर विभाग द्वारा लगभग आठ वर्षों के बाद जिला पदाधिकारी से मंतव्य

प्राप्त कर इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, वह भी अभिलेख आधारित नहीं है। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये ही इन्हें दंड संसूचित किया गया है, जो नियमानुसार नहीं है।

श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण के तथ्यों को ही पुनः उल्लेख किया गया है। उनके द्वारा अपने बचाव में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप सांसद/विधायक मद योजना से की गयी कार्यों में अनियमितता बरते जाने से संबंधित है। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, निगरानी विभाग के तकनीकी कोषांग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरियक, नालंदा के स्थल निरीक्षण के आधार पर प्रतिवेदित किया गया है। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी से मंतव्य प्राप्त किया गया है। जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा मामले की सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार प्रतिवेदित किया गया है। उनका कहना है कि श्री कुमार द्वारा योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गयी है एवं उनके कार्यों में पर्यवेक्षण की कमी परिलक्षित होती है। इस संबंध में यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्य आरोपी अभिकर्ता को दोषी पाते हुए दंड अधिरोपित किया गया है।

सम्यक् समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापाक 3847 दिनांक 14.03.2022 द्वारा पूर्व में अधिरोपित **''02 (दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध''** किये जाने के साथ-साथ **''चेतावनी (चरित्र-पुस्त में प्रविष्टि की जाएगी)''** के दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरविन्द कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 750/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरियक, नालंदा सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापाक 3847 दिनांक 14.03.2022 द्वारा पूर्व में अधिरोपित **''02 (दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध''** किये जाने के साथ-साथ **''चेतावनी (चरित्र-पुस्त में प्रविष्टि की जाएगी)''** के दंड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 646-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in